न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 48/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1, मु0 रामकन्या पत्नी रामस्वरूप महाजन निवासी शाहपुरा वगैरा
2 – 7 सत्यनारायण, राजेन्द्र, मु0 कान्ता, मु0 सुशीला, मु0 मंजु, मु0 पुष्पा पिता रामस्वरूप महाजन निवासियान शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र भुवाना माली निवासी कादीसहना
2. उंकार पुत्र छोटू धोबी निवासी कादीसहना
3. चन्द्रा पिता धन्ना गाडरी निवासी कादीसहना
4. बिरम पिता कल्याण बलाई निवासी कादीसहना
5. शंकर पिता छोगा धोबी निवासी कादीसहना
6. जगरूप पिता भज्जा कुम्हार निवासी कादीसहना
7. सत्तु पिता उगमा कुम्हार निवासी कादीसहना
8. प्रेम मीणा निवासी कादीसहना

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री दीपक पारीक**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **14/09/2020**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1898 रकबा 1.64 है0, 1918 रकबा 2.76 है0** कुल **किता 2** रकबा **4.12** हैक्टेयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार /संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम **कादीसहना संवत 2072 से 2075** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कादीसहना में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 2 रकबा 4.12 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी **ऑफ सीजन** में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **850/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.19 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner